आदेश

16/3/17

मिस अपील सं0–02/15–16 विनोद कुमार पाण्डेय बनाम् सरकार का मामला विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक–466/आ0 दिनांक–23.03.2015 के विरूद्व दायर किया गया है।

मामला यह है कि अपीलार्थी प्रखंड–चांदन, पंचायत–चांदन के जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे जिनकी अनुज्ञप्ति सं0–36/12 को अनियमितता आदि के निम्न आरोप में रद्व किया गया है–

1. विक्रेता द्वारा लाभुको को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न दिया गया है।
2. विक्रेता द्वारा लाभुको को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है।
3. विक्रेता द्वारा लाभुको के राशन कार्ड पर माह दिसम्बर– 14 का खाद्यान्न वितरण कर माह जनवरी–15 का अंकित किया गया है।
4. विक्रेता द्वारा स–समय दुकान नहीं खोलना जिसके कारण लाभुको को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
5. विक्रेता द्वारा लाभुको को 20/– रू0 प्रति लीटर की दर से किरासन तेल वितरण किया जाना जो सरकार के द्वारा निर्धारित दर से अधिक है।

अपील सुनवाई हेतु अंगीकृत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चांदन के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के ज्ञापांक–1414 दिनांक–24.11.2013 तथा ज्ञापांक–384 दिनांक–03.03.15 द्वारा अनियमितता बरतने के संबंध में उनसे 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण पूछा गया । दिनांक–07.03.15 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसे स्वीकार ना कर द्वितीय कारण–पृच्छा ज्ञापांक–410 दिनांक–13.03.15 द्वारा किया गया। अनुपालन में पुनः स्पष्टीकरण कागजात सहित समर्पित किये जिसपर विचार ना कर बिना युक्तियुक्त कारणों के उनकी अनुज्ञप्ति रद्व कर दी गयी है।

आगे पक्ष रखा कि उन्होंने कोई अनियमितता नहीं की है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चांदन द्वारा लगाया गया आरोप दवाब में समर्पित किया गया है क्योंकि वे जन वितरण दुकानदार के प्रखंड अध्यक्ष थे फलस्वरूप दुर्भावना को लेकर अनुज्ञप्ति रद्द की गयी।

उपर्युक्त तथ्यों को रखते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया एवं अनुज्ञप्ति बहाल करने की प्रार्थना की गयी।

सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा पक्ष रखा गया कि अपीलार्थी का दावा सही नहीं है। वस्तुतः दिनांक–27.02.2015 से 01.03.2015 तक बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये अवैध रूप से दुकान को बंद रखा गया था। साथ ही अनियमितता के संबंध में भी विक्रेता से कारण पृच्छा मांगा गया। इनके द्वारा कारण–पृच्छा समर्पित किया गया जो असंतोषप्रद रहने के कारण अस्वीकृत किया गया है।

आगे यह तथ्य भी रखा गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चांदन

द्वारा पोषक क्षेत्र के लाभुकों का ब्यान दर्ज कर समर्पित किया गया था तथा इसके आलोक में भी विक्रेता से स्पष्टीकरण किया गया एवं विक्रेता उपस्थित होकर आरोप से इन्कार कर यह कहा गया कि उनकी दुकान खुली थी परन्तु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चांदन के पत्रांक–85 दिनांक–04.03.15 द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि दिनांक–01.03.2015 को विक्रेता के दुकान पर 11:00 बजे पूर्वाहन में पहुचे तो दुकान बंद पायी गयी। दुकान के बाहर बैठे लाभुकों के ब्यान से दुकान बंद रहने की सम्पुष्टि हुई है।

सरकार की ओर से उक्त तथ्य रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

बहस के आलोक में अभिलेख परीक्षण किया गया। LCR एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश का अवलोकन किया गया। ज्ञात होता है कि अनियमितता आदि को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, बांका द्वारा अपीलार्थी से ज्ञापांक– 133 (प्र0) दिनांक– 21.11.13, ज्ञापांक– 1414 दिनांक– 24.11.13, ज्ञापांक– 1551 दिनांक– 09.12.14, ज्ञापांक– 106 दिनांक– 27.02.15 ज्ञापांक– 375 दिनांक– 02.03.15, ज्ञापांक– 384 दिनांक– 03.03.15 एवं ज्ञापांक– 410 दिनांक– 13.03.15 द्वारा कुल– 07 मौको पर स्पष्टीकरण किया गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सचेष्ट करने एवं पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया।

यह भी ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के विरूद्व कार्रवाई करने हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष युक्तियुक्त वजह रहा था। कुल– 54 लाभुकों का ब्यान आदेश में अंकित है। सुबल यादव एवं अन्य 53 लाभुकों के ब्यान से स्पष्ट होता है कि लाभुक जब दुकान पर पहूँचे तो दुकान बंद पाया गया। पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना दुकान को बंद रखा गया जिससे लाभुक को कठिनाई हुई। खाद्यान्न की आपूर्ति करने में भी गंभीर अनियमितता की गयी है। फलस्वरूप मनमानी एवं अनियमितता किये जाने का आरोप सम्पुष्ट होता है तथा कार्रवाई होने पर अपीलार्थी द्वारा बहानेबाजी की गयी है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

जन वितरण प्रणाली सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजना है। इस योजना में पाई गई अनियमितता से समाज के गरीब, वंचित समाज कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित नहीं हो पाते है इससे विधि व्यवस्था की भी समस्या पैदा होती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका द्वारा पारित आदेश उचित है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई वजह ज्ञात नहीं होता है। तद्आलोक में विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

16.3.17

समाहर्त्ता,
बांका।

16.3.17

समाहर्त्ता,
बांका।